भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *191
जिसका उत्तर बुधवार, 12 मार्च, 2025 को दिया जाएगा

ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा उपभोक्ता अधिकारों का हनन

***191. श्री विनोद लखमशी चावड़ा:**
श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि ऑटोमोबाइल कंपनियां उपभोक्ता मांग का फायदा उठाकर जानबूझकर बेस मॉडल से स्वचालित ट्रांसमिशन विकल्पों को बाहर कर देती हैं जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए कीमत बढ़ जाती है और इससे कंपनियों को अनुचित लाभ होता है जो उपभोक्ता की जरूरतों और प्राथमिकताओं से अधिक लाभ को प्राथमिकता देती हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पारदर्शिता की कमी, भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण, अनुचित व्यापार-व्यवहार और ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के हनन की इस समस्या के समाधान के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं या कोई अध्ययन दल गठित किया गया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा उपभोक्ता अधिकारों का हनन के संबंध में दिनांक 12.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *191 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित विवरण

उपभोक्ता मामले विभाग की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*****